न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा जिला डुगंरपूर

पीठासीन अधिकारी :–

मणीलाल तीरगर

प्रकरण सख्याः– 44 / 19

निर्णय दिनांकः–08.07.2019

1 श्रीमती जशोदा पुत्री सवजी पारगी जाति मीणा निवासी भचडिया जगतान तहसील चीखली जिला डुगंरपूर राजस्थान।

वादीया

बनाम

1 श्री सवजी पिता नाथु पारगी जाति मीणा जाति मीणा निवासी भचडिया जगतान तहसील चीखली जिला डुगंरपूर राजस्थान।

2 श्रीमती शारदा पति सवजी पारगी जाति मीणा निवासी भचडिया जगतान तहसील चीखली जिला डुगंरपूर राजस्थान।

3 श्रीमती गंगा पुत्री सवजी पारगी जाति मीणा निवासी भचडिया जगतान तहसील चीखली जिला डुगंरपूर राजस्थान। हाल निवास अपने पति के घर श्री जीवा बामणिया निवासी बोरमाता तहसील चीखली जिला डूंगरपुर राज।

4 श्री मान भुमिधारी लेण्ड होल्डर तहसीलदार साहब तहसील चीखली जिला डुगंरपूर राज.।

प्रतिवादीगण

वादपत्र अर्न्तगत धारा 53, 88, 188, व 209 रा.टी. एक्ट व धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित :– श्री बालगोविन्द पाटीदार वादीया की ओर से

एकपक्षीय बहस सुनी गई

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार हैकि वादीया द्वारा एक वाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 एक ही परिवार के सदस्य होकर मुल पुरूष नाथु के वारिसान है। वादीया व प्रतिवादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भुमि मौजा भचडिया जगतान में स्थित हाल जमाबंदी खाता संख्या 6 खसरा नम्बर 274, 292, 293, 300, 304, 314, 316, 317, 318 खेत किता 9 कुल खसरा 9 के कुल रकबा 12.00 बीघा होकर स्थित है पर पारिवारिक बंटवारे के अनुसार अपने पिता के हिस्से में आयी 1/3 हिस्से की आधी भुमि पर काबिज होकर काश्त कर रही है। उपरलिखित वादग्रस्त आराजीयात संवत 2022 में वादीया के दादा नाथु के नाम दर्ज थी जो नाथु की मृत्यु के पश्चात नाथु के तीन पुत्र शंकर, सवजी, गौतम के नाम दर्ज रिकॉर्ड है वादीया प्रतिवादी संख्या 1 की विधिक पुत्री होने तथा नाथु की विधिक पोती होने के कारण वादीया का वादग्रस्त आराजी पर जन्म से अधिकार निहित है। वर्षा ऋतु में वादीया अपने पारिवारिक बंटवारे में अपनी हिस्से आयी भुमि जिस पर वादीया काश्त करने गयी तो प्रतिवादी संख्या 3 मौके पर काश्त नहीं करने की एलानिया धमकीया दी की उक्त जमीन मेरे नाम कर दी है। जिस पर वादीया ने नकले निकलवायी तो जानकारी हुई की

क्रमशः पेज 2 पर

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 3 के नाम अविधिक व नियम विरुद्ध झुंठा विक्रय पत्र संपादित करा दिया है। जिस पर वादीया ने विधि विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में किए विक्रय पत्र को वादीया के विरूद्ध प्रारम्भ से शुन्य एवं प्रभावहीन होने से विक्रय पत्र को निरस्त करने वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादीगण को जरीये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना आवश्यक है कि प्रतिवादीगण वादीया को पारिवारिक बंटवारे में उसके हिस्से में आयी विरासती भुमि मौजा भचडिया जगतान खाता संख्या 6 खसरा नम्बर 274, 292, 293, 300, 304, 314, 316, 317, 318 खेत किता 9 कुल खसरा 9 के कुल रकबा 12.00 बीघा में वादीया को काश्त करने में रूकावट पैदा न तो स्वयं करने न ही अपने मित्र एजेण्ट से करावे।

इस प्रकार वादी ने वाद प्रस्तुत कर दाद चाही है।

वादी द्वारा न्यायालय में वाद पेश करने पर न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को जरीए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या एक से तीन ने जरीए वकील उपस्थित हुए। प्रतिवादीगण की और से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करने कई अवसर दिए गए जवाब प्रस्तुत नहीं होने पर दिनांक 28.09.2016 को प्रतिवादीगण का जवाब बंद कर न्यायालय द्वारा एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य रखी गई।

वादी ने अपने समर्थन में निम्नलिखित मौखिक, लिखित दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए।

1 पीडब्लयु–1– श्री मती जसोदा पुत्री सवजी पारगी जाति निवासी भचडीया जगतान

2 पीडब्लयु–2– श्री शंकर पिता नाथु पारगी जाति निवासी भचडीया जगतान

3 पीडब्लयु–3– श्री रामलाल पिता शंकर पारगी जाति निवासी भचडीया जगतान

उक्त बयानो मे बताया की वादीया व प्रतिवादीगण एक ही मुल पुरुष नाथु के वारीसान है व वादीया और प्रतिवादी सख्या एक सगी बहने होकर सवजी की पुत्रिया है तथा ग्राम भचडीया जगतान की आराजी सख्या क्रमशः 274, 292, 293, 300, 304, 314, 316,317 व 318 कुल खसरा नम्बर 9 कुल रकबा 12 बीधा मे सवजी के 1/3 हिस्से पर सवजी की दोनो लडकीया काबीज है व दोनो लडकीयो का वादग्रस्त जमीन पर बराबर हक व अधिकार है । वादग्रस्त आरजी पुर्व मे वादीया के दादा नाथु के नाम थी जो नाथु की म्रत्यू के पश्चात नाथु के तिनो पूत्रो के नाम दर्ज हुई थी ऐसे मे वादीया सवजी की पुत्री होने के कारण वादीया का वादग्रस्त आराजी पर जन्म से अधिकार निहीत है तथा सवजी द्वारा वादीया को वादग्रस्त आराजी मे उसके हिस्से से वचिंत करने के लिये ही उसकी एक मात्र पुत्री गंगा के नाम विक्रय पत्र संपादीत करवाया है जो वादीया के विरुद शुन्य एंव प्रभावहीन धोषित किया जावे व प्रतिवादी सख्या तीन के साथ वादीया का नाम दर्ज कर वादीया को खातेदार काश्तकार धोषित किया जावे।

क्रमशः पेज 3 पर

Scanned by CamScanner

1 प्रदर्श– 1 सेटलमेंट जमाबंदी नकल संवत 2022 में नाथु वल्द दला का नाम दर्ज है।

2 प्रदर्श– 2 विकय पत्र की प्रति दिनांक 05.06.2006 है जो प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 3 के नाम विकय पत्र निष्पादित किया है।

3 प्रदर्श– 3 सम्वत 2065–2068 की जमाबंदी नकल।

4 प्रदर्श– 4 राजकीय प्राथमिक विद्यालय मीठी लिमडी का टी. सी प्रमाण पत्र।

5 प्रदर्श–5 ग्राम पंचायत कुंआ सरपंच शर्मिला पत्नि भगवानलाल डामोर के बयान।

6 प्रदर्श–6 वादीया जशोदा के बयान।

विद्वान अभिभाषक की एक पक्षीय बहस सुनी वकील वादीया ने वक्त बहस वाद में अंकित तथ्य को दौहराते हुए तर्क दिया की वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 एक ही परिवार के सदस्य होकर मुल पुरूष नाथु के वारिसान है। वादीया व प्रतिवादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भुमि मौजा भचडिया जगतान में स्थित हाल जमाबंदी खाता संख्या 6 खसरा नम्बर 274, 292, 293, 300, 304, 314, 316, 317, 318 खेत किता 9 कुल रकबा 12.00 बीघा होकर स्थित है पर पारिवारिक बंटवारे के अनुसार अपने पिता के हिस्से में आयी 1/3 हिस्से की आधी भुमि पर काबिज होकर काश्त कर रही है। वादग्रस्त आराजीयात संवत 2022 में वादीया के दादा नाथु के नाम दर्ज थी जो नाथु की मृत्यु के पश्चात नाथु के तीन पुत्र शंकर, सवजी, गौतम के नाम दर्ज रिकॉर्ड हुई थी ऐसे मे वादीया प्रतिवादी संख्या 1 की विधिक पुत्री होने तथा नाथु की विधिक पोती होने के कारण वादीया का वादग्रस्त आराजी पर जन्म से अधिकार निहित है। लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीया को उक्त वादग्रस्त आराजी से बेदखल करने की नियत से प्रतिवादी संख्या 3 से मिलीभगत कर बिना कोई राशि लिए प्रतिवादी संख्या 3 के नाम विकय पत्र निष्पादित कर दिया गया। जबकि विरासती आराजी को विकय करने का प्रतिवादी संख्या 1 को कोई अधिकार नहीं था। ऐसे में विकय पत्र को वादीया के विरूद्ध शुन्य एवं प्रभावहीन घोषित किया जाना व नामान्तरण संख्या 112 को निरस्त फरजाया जावे। तथा वादीया का नाम प्रतिवादी संख्या 3 के साथ 1/3 हिस्से में दर्ज किया जाकर वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

हमने वकील वादीया की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपस्थित साक्ष्य व दस्तावेजों का अवलोकन किया प्रदर्श 1 से साबितहोता है कि वादग्रस्त आराजी सेटलमेंट जमाबंदी 2022 से वादीया के दादा नाथु के नाम दर्ज रिकॉर्ड थी। जो नाथु की मृत्यु के पश्चात नाथु के तीनों पुत्र शंकर, सवजी व गौतम के नाम विरासत रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई थी। ऐसे में वादग्रस्त आराजी सवजी विरासती आराजी थी। जो नियमानुसार सवजी की मृत्यु के पश्चात के विधिक रूप से दोनों पुत्रीयों के नाम दर्ज होनी थी।

कमशः पेज 4 पर

Scanned by CamScanner

लेकिन सवजी द्वाराअकेली एक पुत्री गंगा के नाम वादग्रस्त आराजी में सम्पूर्ण हिस्सा दिनांक 05.06.2006 को विक्रय पत्र सम्पादित करने देने से यह भी साबित होता है कि सवजी अपनी एक पुत्री को विरासती आराजी से बेदखल करना चाहता था। जिसके कारण ही उसने गंगा के नाम विक्रय पत्र संपादित किया। वादीया के समर्थन में पेश हुई साक्ष्य पीडब्ल्यु 2 जो सवजी का सगा भाई जिसने भी वादीया के दावे का समर्थन कर वादग्रस्त आराजी में वादीया का हिस्सा व कब्जा होने का कथन किया है। ऐसे में सम्पूर्ण साक्ष्य एवं दस्तावेजो से साबित होता है कि प्रतिवादी सख्या एक द्वारा प्रतिवादी सख्या तीन के नाम वादग्रस्त आराजी का विक्रय पत्र केवल वादीया को वादग्रस्त आराजी से वंचित करने के लिये सम्पादीत करवाया है ऐसे मे विक्रय पत्र दिनांक 05.06.2006 को वादीया के विरुद शुन्य एंव प्रभावहिन धोषित कर वादग्रस्त आराजी मे प्रतिवादी सख्या तीन के नाम दर्ज 1/3 हिस्से मे प्रतिवादीया सख्या तीन के साथ वादीया का नाम दर्ज करना उचित प्रतित होता है व नामान्तरण संख्या 112 को निरस्त किया जाना जाकर प्रतिवादीगण को इस बात के लिये पाबन्द किया जाना उचित समझता हुं कि वादग्रस्त आराजी मे वादीया को काश्त करने मे रुकावट पैदा नही करे ।

आदेश

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम भचडिया जगतान में स्थित हाल जमाबंदी खाता संख्या 6 खसरा नम्बर 274, 292, 293, 300, 304, 314, 316, 317, 318 खेत किता 9 कुल रकबा 12.00 बीघा मे प्रतिवादी सख्या तीन के नाम दर्ज 1/3 हिस्से मे प्रतिवादीया सख्या तीन के साथ वादीया का नाम दर्ज कर वादीया को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है व नामान्तरण संख्या 112 को निरस्त किया जाता है। तथा प्रतिवादीगण को जरीये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता हैकि वे वादीया को वादग्रस्त आराजी मे काश्त करने मे रुकावट पैदा न करे। डिकी पर्चा मुर्तिब किया जावे।

8.7.2019
मणीलाल तीरगर
उपखंड अधिकारी
सीमलवाडा

उप खण्ड अधिकारी
सीमलवाडा मु0 धम्बोला

आदेश आज दिनांक 08.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

8.7.2019
मणीलाल तीरगर
उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

उप खण्ड अधिकारी
सीमलवाडा मु0 धम्बोला

Scanned by CamScanner

डिक्री व मुकदमें की इब्तदाई

(ओ. 2 रू. 6–7 जाप्ता दीवानी)

(सिविल प्रोसीजर कोड, एपेन्डियस डी–1)

..अदालत उपखंड अधिकारी सीमलवाडा मुकाम धम्बोला

..लास श्री उपखंड अधिकारी मणीलाल तीरगर सीमलवाडा

..जशोदा बनाम श्री सवजी

..बाबतः– स्थायी निषेधाज्ञा 53, 88, 188 व 209 राज.टी. एक्ट व धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट

..दमा नम्बरः– 44/2019

..मुकदमा याब वास्ते इनफिसाल कराई रूबरू :– श्री मणीलाल तीरगर

..हाजरी :– बालगोविन्द पाटीदार मिनजानिब मुदई व मिनजानिब मुदायलाह एकपक्षीय बहस सुनी

..पेश होकर हुक्म दिया जाता है डिक्री दी जाती है कि:–

ग्राम भचडिया जगतान में स्थित हाल जमाबंदी खाता संख्या 6 खसरा नम्बर 274, 292, 293, 300, 304, 314, 316, 317, 318 खेत किता 9 कुल रकबा 12.00 बीघा मे प्रतिवादी सख्या तीन के नाम दर्ज 1/3 हिस्से मे प्रतिवादीया सख्या तीन के साथ वादीया का नाम दर्ज कर वादीया को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है व नामान्तरण संख्या 112 को निरस्त किया जाता है। तथा प्रतिवादीगण को जरीये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता हैकि वे वादीया को वादग्रस्त आराजी मे काश्त करने मे रुकावट पैदा न करे।

..रे दस्तखत व मुहर अदालत में आज दिनांक 08.07.2019 को जारी की गई।

दस्तखत. 8.7.2019

ओहदा . . . उप खण्ड अधिकारी ..मलवाडा मु० धम्बोला

मुदई	रूपया/पेसा	मुदायलाह	रूपया/पैसा
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजेह सबुत मेहनताना वकील फीस कमीश्नर खर्चा गवाहान बबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनतनामा वकील खर्चा गवाहान फिस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	
मिजान		मिजान	

Scanned by CamScanner